बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(Sponsored by Bank of Baroda)

प्रधान कार्यालय: बुद्ध विहार व्यवसायिक योजना, तारामण्डल, गोरखपुर 273016
क्षेत्रीय कार्यालय, नरई बांध, गृहस्त प्लाजा के पास, मऊ –275101

सार्वजनिक नीलामी

13.03.2024

बिक्री सूचना (अचल सम्पति हेतु)

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू.पी बैंक के प्रधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूनगर्ठन और प्रतिभूहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13(12) सपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को माँग पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यहकि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने के असमर्थ रहें अत: एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी बड़ौदा यूपी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को विशेष रुप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें यह सम्पत्ति बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय हैं यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/ बन्धककर्ता(ओं) को पुन: यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की विक्री निम्नानुसार वर्णित तिथित के अनुसार ''जो है जैसा है, तथा ''जहाँ है जैसा है'' के आधार पर की जायेगी। अत: निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 12.03.2024 तक बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय– गाजीपुर तिराहा, नरई बाँध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मऊ में प्रस्तुत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 13.03.2024 को दोपहर 11.00 से 4.00 बजे तक बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय– गाजीपुर तिराहा, नरई बाँध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मऊ में खोली जायेगी

क्र. सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम,पता	सम्पत्ति का विवरण/ स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि / अधिग्रहण की तिथि/प्रारुप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य /इएमडी
1.	उधारकर्ता– मेसर्स विनायक कलेक्शन, प्रोप0 – नवल किशोर गुप्ता पुत्र वैरागी दास गुप्ता, उधारकर्ता और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी– नवल किशोर गुप्ता पुत्र वैरागी दास गुप्ता दोनों का पता– मकान नं0–11/12 पुरा अग्रवाल, दक्खिन टोला, जिला– मऊ, पिन 275101 गारंटर/मृतक बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी: वैरागी दास गुप्ता पुत्र रामलगन गुप्ता, पता– मकान नं0–11 पुरा अग्रवाल, दक्खिन टोला जिला– मऊ, पिन 275101 मृतक बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी: 1– विमल गुप्ता पुत्र वैरागी दास गुप्ता, 2– विशाल गुप्ता पुत्र वैरागी दास गुप्ता, दोनों का पता– मकान नं0 11/12 पुरा अग्रवाल, दक्खिन टोला, जिला– मऊ, पिन 275101 शाखा: विकास भवन, खाता नं0 : 515305010000014, 515306320000003 एवं 83400600000001	संपत्ति विक्रय विलेख सं0–1872, दिनांक–22–03–2016, क्षेत्रफल–36 कड़ी, स्थित मौजा– पुरा अग्रवाल (दक्खिन टोला), मऊनाथ भंजन, परगना– सदर, जिला– मऊ। स्वामी: स्व0 अनीता गुप्ता पत्नी वैरागी दास गुप्ता पता: 11 पुरा अग्रवाल दक्खिन टोला, मऊ चौहद्दी: उत्तर– अनीता और वैरागी दास गुप्ता का मकान, दक्षिण– इज़हारुल हक का मकान, पूर्व–अनवारुल हक का मकान, पश्चिम इंटरलॉकिंग रोड	09.11.2022 24.01.2023 सांकेतिक कब्जा	Rs. 41,80,211.66 दिनांक 02.05.2022 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	34,83,810/- 3,48,381/-
2.	उधारकर्ता: अनुष्का ट्रेडर्स, प्रोप0 श्री विनय कुमार पुत्र श्री रामजी, पता: ग्राम + पोस्ट– माऊरबोझ, घोसी, जिला– मऊ, जमानतदार(ओं): (1) श्री लक्ष्मण पुत्र रामजी ग्राम–माऊरबोझ, घोसी, जिला–मऊ, (2) श्री विजय पुत्र रामजी ग्राम–रामपुर धनौली ,पोस्ट– दोहरीघाट , जिला– मऊ शाखा: रघौली खाता नं0 :515205010053175	1) संपत्ति –प्लॉट नं0 501, प्लॉट का क्षेत्रफल – 330 वर्ग मीटर, ग्राम– माऊरबोझ घोसी, जिले– मऊ स्वामी– श्री लक्ष्मण पुत्र रामजी ग्राम– माऊरबोझ, घोसी, जिला– मऊ, चौहद्दी: उत्तर– सह भागीदार की शेष भूमि, दक्षिण– बालचंद की जमीन, पूर्व – राम नारायण की जमीन, पश्चिम– 2 मीटर चौड़ा खड़ंजा रोड 2)–प्लॉट–नंबर 501, प्लॉट का क्षेत्रफल– 300 वर्ग मीटर, ग्राम– माऊरबोझ घोसी, जिले– मऊ स्वामी– श्री विजय पुत्र रामजी, पता– ग्राम–रामपुर, धनौली, पोस्ट– दोहरीघाट, जिला–मऊ, चौहद्दी: उत्तर– त्रिभुवन सिंह की जमीन, दक्षिण– लक्ष्मण की जीमन आदि, पूर्व – राम नारायण की जमीन, पश्चिम– 2 मीटर चौड़ा खड़ंजा रोड	14.07.2022 18.10.2022 सांकेतिक कब्जा	Rs. 15,63,366/- दिनांक 01.06.2022 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	24,27,246/- 2,42,725/-
3.	उधारकर्ता: मेसर्स मंगलम होजरी, प्रोप0– बृजेश कुमार सिंह पुत्र विपिन बिहारी सिंह, पता: भीटी, मऊनाथ भंजन, मऊ, जमानतदार(ओं): श्री हंसनाथ गुप्ता पुत्र बालेश्वर प्रसाद गुप्ता, पता: निजामुद्दीनपुरा, पोस्ट– मऊनाथ भंजन, मऊ, (2) नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह, पता: अंधा मोड, भीटी, मऊनाथ भजन, मऊ शाखा– भीटी खाता संख्या– 515115010600132	संपत्ति – भूमि एवं भवन– बृजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 विपिन बिहारी सिंह, सेल डीड नं0– 4961 दिनांक– 16.09.2014, मकान नं0–110, क्षेत्रफल– 22 लिंक स्थित मौजा– सरॉय लखंसी, मोहल्ला– अस्तुपुरा, परगना व तहसील– मऊनाथ भंजन, जिला–मऊ, चौहदी: उत्तर– राजनाथ व शकुन्तला देवी की भूमि, दक्षिण– कृष्ण मोहन राय का मकान, पूर्व– इण्टर लॉकिंग रोड, पश्चिम– राज कुमार राय की भूमि	28.04.2017 15.11.2017 सांकेतिक कब्जा	Rs. 8,77,571.10 दिनांक 31.03.2017 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	17,56,800/- 1,75,680/-
4.	उधारकर्ता: श्रीमती सुनीता यादव पत्नी जोखू राम एवं श्री जोखू राम पुत्र भूखन यादव, पता: ग्राम– पुरुषोत्तमपुर, पोस्ट– बीबीपुर जनपद आजमगढ़ – जमानतदार(ओं)– (1) श्री रामकेवल यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव पता: ग्राम– रसरा, पोस्ट– बीबीपुर जनपद– आजमगढ़, (2) श्री सत्यदेव पुत्र सिकराम, पता: ग्राम– अराजी मेरुकपुर, पोस्ट– टंडवा, जनपद– आजमगढ़ शाखा बेल्हाडीह, खाता सं0– 511046510170110	संपत्ति श्रीमती सुनीता यादव पत्नी जोखू यादव के नाम पर , दस्तावेज सं0 1218, दिनांक– 26. 05.2014, प्लॉट नं0 89, क्षेत्रफल– 56.65 वर्ग मोटर स्थित मौजा– भोपालपुर, परगना– बेलहाबाँस मेहनगर, जिला– आजमगढ़, चौहद्दी: उत्तर– भूखन की भूमि, दक्षिण– 12 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व– रुबा पत्नी घनश्याम की भूमि, पश्चिम– श्रीरामचन्दर की भूमि	19.10.2019 10.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,00,000/- दिनांक 30.09.2019 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	6,63,390/- 66,339/-
5.	उधारकर्ता– श्री प्रमोद पुत्र शिवचन्द, पता: ग्राम– बस्ती, पोस्ट– हलधरपुर, जिला– मऊ, जमानतदार(ओं): (1) भागीरथी पुत्र मुकर्धन, पता: मोलनापुर, पोस्ट– हथिनी, जिला– मऊ, (2) श्री राजू पुत्र धीरज, पता: ग्राम– रंजनपुर, पोस्ट – पहसा, जिला– मऊ शाखा: बकवल, खाता नं0 : 515404030000003	संपत्ति – खाता नं. 157, प्लाट नं0– 411 मि, दस्तावेज सं0 3664, क्षेत्रफल– 225.84 वर्ग मीटर, ग्राम– रस्तीपुर, तहसील– सदर, जिला– मऊ स्वामी– श्री प्रमोद पुत्र शिवचन्द, चौहद्दी: उत्तर– 12 फीट इण्टरलॉकिंग रोड, दक्षिण – रामदेव की भूमि उसके बाद जमुना की भूमि, पूरब– नन्दलाल का मकान उसके बाद चन्द्रदेव की भूमि, पश्चिम–विक्रेता की भूमि उसके बाद सत्यदेव का मकान	08.09.2020 04.01.2021 सांकेतिक कब्जा	Rs. 5,55,908/- दिनांक 04.07.2020 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	10,91,700/- 1,09,170/-
6.	उधारकर्ता– मेसर्स मौर्या बिल्डिंग मटेरियल, प्रोप.– श्री मिठाईलाल मौर्या पुत्र स्व0 बंशी मौर्य, पता: ग्राम– चौकी गंजोर, पोस्ट– तरवाँ, जिला– आजमगढ़, जमानतदार(ओं): 1. श्री अजरज शर्मा पुत्र श्री रामबली शर्मा, पता: ग्राम/ पोस्ट– फिरोजपुर तरवाँ, जिला– आजमगढ़, 2. श्री राजकुमार बरनवाल पुत्र श्री लल्लन प्रसाद, पता: ग्राम+पोस्ट–तरवाँ, जिला– आजमगढ़ शाखा: तरवाँ, खाता नं0 : 511055010053145 / 511056320000007/ 82870600000006	संपत्ति का विवरण: आराजी संख्या– 621, क्षेत्रफल – 56.70 वर्ग मीटर, ग्राम– मौलनीपुर तरवाँ, परगना– देवगांव, तहसील– लालगंज, जिला–आजमगढ़, मालिक– श्री मिठाईलाल मौर्या पुत्र स्व0 बंशी मौर्य, ग्राम– चौकी गंजोर, चौहद्दी: उत्तर–पीडब्ल्यूडी रोड, दक्षिण–लक्ष्मण यादव की भूमि, पूर्व– सुरवई सोनकर का घर, पश्चिम– लक्ष्मण यादव की भूमि	02.08.2022 30.10.2023 सांकेतिक कब्जा	Rs. 03,60,900/- दिनांक 01.06.2022 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	8,67,600/- 86,760/-
7.	उधारकर्ता – 1– श्यामप्यारी पत्नी बालकिशुन, पता: खुटवा, मेंहनगर, आजमगढ़, 2– शीला पत्नी इंद्रजीत, पता: ग्राम – धरनीपुर, रानीपुर, मेंहनगर, आजमगढ़, जमानतदार (ओं): (1) इंद्रजीत पुत्र बैजनाथ, पता: रानीपुर, धरनीपुर, दामा, आजमगढ़, (2) रमेश चंद पुत्र अनरूप, पता: खुटवा, मेंहनगर, आजमगढ़ शाखा: मेहनगर खाता नं0 :511116510035138	संपत्ति का विवरण: श्यामप्यारी पत्नी बालकिशुन के नाम पर, क्षेत्रफल– 0.028 कड़ी, विलेख संख्या 164, प्लॉट संख्या 729/1616, ग्राम/मौजा– गौरा, परगना– बेला दौलताबाद, तहसील– मेहनगर, जिला– आजमगढ़, चौहद्दी: उत्तर– बिंदा बाजार से मेहनगर रोड, दक्षिण– जनार्दन सिंह की भूमि, पूर्व– चक रोड, पश्चिम– अमरनाथ और विश्वनाथ की भूमि	15.07.2016 16.11.2017 सांकेतिक कब्जा	Rs. 2,85,118/- दिनांक 30.06.2016 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	7,34,400/- 73,440/-
8.	उधारकर्ता– बबलु कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोप0– श्री रईश अहमद पुत्र अब्दुल कयूम, पता: ग्राम– झोंटपुर पोस्ट– पनैल , उपजिला– घोसी, जिला– मऊ जमानतदार(ओं): (1) श्रीमती मैमुन निशा पत्नी अब्दुल कयूम, पता: ग्राम– झोंटपुर, पोस्ट–पनैल, उपजिला– घोसी, जिला– मऊ, (2) श्रीमान जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल माजिद, पता: ग्राम– झोंटपुर पोस्ट– पनैल, उपजिला– घोसी जिला– मऊ शाखा: अमिला, खाता नं0 :515025010015190	संपत्ति – खाता नं. 128, गाटा संख्या– 31, प्लॉट का क्षेत्रफल– 0.062 हेक्टेयर, मौजा– झोंटपुर, जिला – मऊ स्वामिनी– श्रीमती मैमुन निशा पत्नी अब्दुल कयूम, ग्राम–झोंटपुर पोस्ट–पनैल उपजिला– घोसी, जिला– मऊ चौहद्दी: उत्तर– उमेश गुप्ता की जमीन, दक्षिण – सड़क, पूरब– मैमुन निशा का अहाता, पश्चिम–रामविलास चौहान की भूमि	26.04.2023 21.08.2023 सांकेतिक कब्जा	Rs. 12,94,097.00 दिनांक 07.04.2023 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	32,74,020/- 3,27,402/-
9.	उधारकर्ता: मेसर्स आराधना ट्रेडर्स, प्रोप0 श्रीमान राहुल पुत्र रामजी ठठेर, पता: माऊरबोझ, पोस्ट– माऊरबोझ जमाल मिर्जापुर, तहसिल– घोसी, जिला –मऊ जमानतदार(ओं): (1) राजमणि पत्नी रामजी ठठेर, पता– ग्राम– माऊरबोझ, पोस्ट– माऊरबोझ जमाल मिर्जापुर, तहसील– घोसी, जिला– मऊ, (2) अरविन्द कुमार पुत्र देवनाथ, पता: ग्राम– माऊरबोझ, पोस्ट– माऊरबोझ जमाल मिरजापुर, तहसील– घोसी, जिला– मऊ, पिन 275105 शाखा: घोसी, खाता नं0 : 515235010060313	संपत्ति – क्षेत्रफल– 32.77 कड़ी, प्लॉट संख्या– 204 ख, ग्राम– माऊरबोझ, तहसील– घोसी, जिला– मऊ स्वामी– श्रीमती राजमणि पत्नी श्री रामजी, पता– माऊरबोझ, पोस्ट– माऊरबोझ जमाल मिर्जापुर, तहसील– घोसी, जिला – मऊ चौहद्दी: उत्तर– रास्ता, दक्षिण– सहन और श्री इंद्रपाल सिंह का घर, पूर्व– मार्ग , पश्चिम– राजमणि का मकान	15.10.2022 30.12.2022 सांकेतिक कब्जा	Rs. 14,54,644/- दिनांक 28.09.2022 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	19,66,680/- 1,96,668/-

विक्रय के नियम एवं शर्ते– 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू0पी0 बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलंग्न करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओ की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी सहीत) उसी दिन बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनकी बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जफ्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सबंधित किसी चार्ज, लियन, भार, प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी डूयूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्ष कार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुन: बिडिंग करा ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी ''जो है जैसी है'' तथा ''जहाँ है जैसी है'' के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ती की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 {By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules. 2002} धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध है। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। 11. यह सेल नोटिस ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं)/ बंधक कर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप है। 12. विस्तृत जानकारी / विवरणी हेतु बैंक की वेबसाइट https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php पर उपलब्ध है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण ग्रहीता / जमानतदारों / बंधक कर्ता(ओ) / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

नोट : प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक – 16.02.2024 स्थान – मऊ/घोसी प्राधिकृत अधिकारी